न्यायालय सहायक कलेक्टर/परगनाधिकारी, सिरौली गौसपुर, बाराबंकी।

संख्या 20 (2012-13)

अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधि०
ग्राम बरौलिया, परगना बदोसरॉय
तहसील सिरौली गौसपुर, जिला-बाराबंकी

सीतादेवी महाविद्यालय पारिजात धाम बनाम सरकार

निर्णय

[illegible] सुनन्दा शुक्ला, प्रबन्धक सीतादेवी महाविद्यालय पारिजातधाम, [illegible] जिला बाराबंकी द्वारा ज०वि०एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा-143 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible].2012 के आधार पर योजित हुआ। प्रार्थना पत्र में ग्राम बरौलिया की भूखण्ड [illegible]545/2.038 है० अभिलेखों में सीतादेवी महाविद्यालय पारिजातधाम, बरौलिया जिला बाराबंकी द्वारा [illegible] देवी शिक्षा समिति द्वारा प्रबंधक सुनन्दा शुक्ला पत्नी श्री अवधेश कुमार शुक्ला निवासी [illegible] एतमादपुर परगना दरियाबाद तहसील सिरौलीगौसपुर के नाम अंकित है। प्रार्थना पत्र में उक्त भूखण्ड को उक्त महाविद्यालय के पक्ष में अकृषिक प्रयोजनार्थ घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। ग्राम बरौलिया चकबंदी प्रक्रिया के अन्तर्गत होने के कारण प्रकरण की स्थलीय जाँच चकबंदी विभाग से करायी गयी। सहायक चकबंदी की जाँच आख्या दिनाँक 03.12.2012 प्राप्त होकर उपलब्ध पत्रावली है।

सहायक चकबंदी अधिकारी भरकामऊ की जांच आख्या दिनांक 03.12.2012 में उल्लिखित किया गया है कि भूखण्ड संख्या-545/2.038 है० स्थित ग्राम बरौलिया पर सीतादेवी महाविद्यालय पारिजात धाम बरौलिया के नाम से भवन का निर्माण हुआ है। उक्त भूमि अकृषिक प्रयोजन में है। आख्या में उक्त भूमि को धारा-143 ज०वि०अ० के अन्तर्गत अकृषित घोषित किये जाने में चकबंदी विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों एवं सहायक चकबंदी अधिकारी की जांच आख्या का विधिवत् परिशीलन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रस्तावित भूखण्ड का उपयोग कृषि कार्यों से इतर किया जा रहा है। अतः ज०वि०अधि० की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

ग्राम बरौलिया, परगना बदोसरॉय, तहसील सिरौली गौसपुर की खतौनी के खाता संख्या [illegible] पर अंकित गाटा संख्या 545/2.038 है० को ज०वि०अधि० की धारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार अभिलेखों में अंकन हेतु परवाना अमलदरामद चकबंदी अधिकारी भरकामऊ को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये। आदेश की एक प्रति राजस्व निरीक्षक सिरौली गौसपुर को भेजी जाय। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त बाद [illegible] अभिलेखागार हो।

दिनांक-07.12.12

PHOTO COPY ATTESTED

R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Collectorate Court
Lucknow U.P. INDIA
Regd No. [illegible]

(इन्द्रसेन सिंह यादव)
सहायक कलेक्टर/परगनाधिकारी
सिरौली गौसपुर, बाराबंकी।

कार्यालय
उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
संख्या 26
तारीख दाखिल 10-12-12
तारीख तैयारी 11-12-12
फीस 8 रु 7.50
नकल शादार [illegible]
तारीख बेवे की बखत 11-12-12

सत्य प्रतिलिपि
उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
सिरौली गौसपुर, बाराबंकी
11-12-12

Principal
Sita Devi Mahavidyalaya
(Department of Pharmacy)
Barabanki

NOTARY
District [illegible]
BARABANKI
27/5/15

CamScanner